UPEW010017702026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी.एसटी(पी०ए०)एक्ट, इटावा।

दण्ड प्रकीर्ण सं०–129/2026

द्रोपदी बनाम पप्पू राठौर आदि।

दिनांक 17.04.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अन्तर्गत थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थिनी सीधी–सादी अनुसूचित जाति (कोरी) वर्ग की विधवा महिला है। वह दिनांक 10.03.2026 को समय करीब रात्रि 8 बजे अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी पप्पू राठौर पुत्र गंगाराम ने उसके के घर के दरवाजे के सामने अपनी बैटरी वाला रिक्शा खडा कर दिया। जब उसने पप्पू राठौर से कहा कि अपना रिक्शा कुछ आगे लगा लो उसके घर का रास्ता बंद हो गया है। इसी बात पर पप्पू राठौर आग बबूला हो गया और विपक्षी अपने घर से अपने परिवार के पुत्र हिमांशु, पत्नी रीना को लेकर आ गया और उसको जातिसूचक गालियां देते हुए बोला कि साली कुरनिया ज्यादा नेता बनती है, आज तेरा खेल खत्म कर देता हूँ, कहते हुए उसको माँ–बहिन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तो पप्पू राठौर व उसका पुत्र हिमांशु पत्नी रीना एक राय होकर उसके ऊपर लात–घूसों और थप्पडों से मारापीटा। उसकी चीख–पुकार सुनकर उसका पुत्र रामखिलावन, आशा देवी व मोहल्ले के काफी लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने उसको, विपक्षीगणों से अत्यधिक पिटने से बचाया। लोगों के आ जाने से विपक्षीगण भाग खड़े हुए। भागते हुए कह रहे थे कि आज तो बच गयी लेकिन अबकी बार जान से मारे देंगे और यह भी कहा कि अगर कहीं कोई शिकायत की तो तेरे पूरे परिवार को जान से मार देगें। वह थाने पर गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इस सम्बन्ध में उसने दिनांक–14.03.2026 को एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को प्रेषित किया था, परन्तु पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आज कल करके टाल–मटोल करती रही और मुकदमा दर्ज नहीं किया, तब मजबूरन उसने सरकारी अस्पताल, इटावा में अपने शरीर पर आयीं चोटो का डाक्टरी परीक्षण कराया, उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तत्पश्चात वर्तमान प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कागज संख्या 6ख/1 से 6 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी को घटना के समस्त तथ्य ज्ञात हैं, जिसे वह अपनी साक्ष्य से साबित कर सकती है । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में साक्ष्य के संकलन हेतु पुलिस द्वारा विवेचना की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **ए.आई.आर.2015 एस.सी. पेज 1758 प्रियंका श्रीवास्तव –प्रति– उत्तर प्रदेश राज्य एवं सुखवासी –प्रति– उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए.सी.सी. 739** में दी गयी विधि व्यवस्था के आलोक में, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायसंगत है।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.04.17 18:21:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 173(4)बी.एन.एस.एस परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 20.05.2026 को पेश हो।

(**संजय कुमार IV**)
जे. ओ कोड यू०पी०–6462
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट, इटावा।
17.04.2026